सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

इन्दिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों पर विशेष रिपोर्ट

डॉ. नन्द कुमार साय
अध्यक्ष
Dr. NAND KUMAR SAI
CHAIRPERSON

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
GOVERNMENT OF INDIA

अ.शा.पत्र सं. 13/1/एपी/डीईवीटी/2013/आरयू-IV दिनांकः 3/7/2018

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338क के प्रावधान के अंतर्गत 19 फरवरी, 2004 को की गई। आयोग का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उपलब्ध सुरक्षणों के कार्यकरण पर वह माननीय राष्ट्रपति को, वार्षिक एवं ऐसे समय पर जब आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्टों में उन सुरक्षणों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करेगा।

2. उक्त संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजाति लोगों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के उसी स्थान पर आकलन करने के लिए दिनांक 26.03.2018 से 28.03.2018 तक आंध्रप्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना का दौरा किया। परियोजना से विस्थापित/परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों की पुनर्स्थापना के कार्यान्वयन में जमीनी वास्तविकताओं के बारे में विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अलग-अलग अभ्यावेदनों के दृष्टिकोण से इस दौरे की आवश्यकता पड़ी।

3. आयोग ने कुछ गांवों का दौरा किया और प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोगों से सीधी चर्चा की। दौरे के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। आयोग ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और प्रभावित जनजातीय लोगों की विभिन्न शिकायतों/मांगों से उन्हें अवगत कराया।

4. पोलावरम सिंचाई परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ की गयी चर्चा के आधार पर आयोग ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जिसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंध में विवरण, परियोजना प्रभावित लोगों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दे तथा परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजाति

National Commission for Scheduled Tribes, 6th Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003
Tel. : 011- 24635721, Fax : 011- 24624628, Email : chairperson@ncst.nic.in

परिवारों के बेहतर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए आयोग की सिफारिशें/सलाह शामिल है।

5. आयोग विश्वास के साथ आशा करता है कि इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/सुझावों पर पोलावरम सिंचाई परियोजना से प्रभावित लोगों के हित में भारत सरकार एवं आंध्रप्रदेश सरकार उचित ध्यान देगी।

भवदीय,

(नंद कुमार साय)

श्री राम नाथ कोविंद

भारत के माननीय राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के कारण प्रभावित अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संवैधानिक सुरक्षणों एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं सिफारिशें

सं. दौरा रिपोर्ट-13/1/एपी/डीईबीटी/2013/आरयू-ष्ट दिनांकः 26-28 मार्च, 2018

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), देश में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करने एवं मॉनिटर करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार, आयोग से परामर्श करेगी। आयोग के लिए उन सुरक्षणों के कार्यकरण पर राष्ट्रपति को रिपोर्टें प्रस्तुत करना आवश्यक है और ऐसी सभी रिपोर्टें, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा ऐसी सिफारिशों में से किसी के, यदि कोई है तो, अस्वीकृति के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

2. उक्त संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजाति लोगों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के उसी स्थान पर आकलन करने के लिए दिनांक 26.03.2018 से 28.03.2018 तक आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना का दौरा किया। परियोजना से विस्थापित/परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों की पुनर्स्थापना के कार्यान्वयन में जमीनी वास्तविकताओं के बारे में विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अलग-अलग अभ्यावेदनों के दृष्टिकोण से इस दौरे की आवश्यकता पड़ी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण

3. सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने यह कहते हुए आयोग को अभ्यावेदन दिया कि पोलावरम परियोजना का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र/जलाशय अनुसूचित क्षेत्र है

यह कथित तौर पर कहा गया, कि केवल पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों में लगभग 371 परिवार जलमग्न संभावित क्षेत्र में हैं। इस 60258.35 एकड़ जमीन में से 41 मीटर जलाशय स्तर में प्रभावित होने जा रही है और शेष 45 मीटर क्षेत्र अभी भी निश्चित किया जाना है। उनकी गणना के अनुसार लगभग 98,818 परिवार प्रभावित होने वाले हैं उनमें से केवल 3,348 परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार अब तक स्थानांतरित किए गए हैं। यदि ऐसे ही मुद्दे बने रहे तो आंध्र प्रदेश सरकार 2019 के आम चुनावों से पहले उतावलेपन में गुरूत्वाकर्षण द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए 41 मीटर का ऊपरी छोर का कॉफर डेम का निर्माण कर रही है। यदि ऐसा ऊपरी छोर का 41 मीटर का कॉफर डेम बन जाता है तो यह 95,472 परियोजना विस्थापित/प्रभावित परिवारों के लिए खतरनाक होगा क्योंकि राज्य सरकार को अभी भी आवास स्थल के लिए जलमग्न भूमि के बदले भूमि का अधिग्रहण करना शेष है। आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों के हित के विरूद्ध कार्य कर रही है और ''उचित मुआवजे के अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता

अधिनियम, 2013'' के लाभों को विस्तारित करने में पूर्ण रूप से असफल हुई है।

4. यह भी कहा गया कि आंध्र प्रदेश सरकार लोगों के समक्ष एवं केंद्र सरकार के समक्ष गलत प्रस्तुतीकरण कर रही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारस्परिक सहमति पर आधारित है जो कि गलत है और अविश्वसनीय है क्योंकि वे मैदानी लोगों को भारी राशि दे रहे हैं और अनुसूचित जनजातियों को अल्प राशि दे रहे हैं।

5. अभ्यावेदन आयोग को तर्क देता है कि वह अधिकारियों को ''उचित मुआवजे के अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013'' के केंद्रीय अधिनियम के अनुसार जब तक भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रावधान सही तरीके से लागू नहीं होते तब तक .41 मीटर पर कॉफर डेम का निर्माण न करे।

आयोग का 26.03.2018 से 28.03.2018 तक राजामुंदरी, पोलावरम, आंध्र प्रदेश का दौरा

6. सचिव, सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने राजामुंदरी में पोलावरम सिंचाई परियोजना पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया जा रहा है:-

पोलावरम सिंचाई परियोजना की विशेषताएं

परिचयः

7. पोलावरम सिंचाई परियोजना पोलावरम, पश्चिमी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के रमैयापेटा के निकट गोदावरी नदी पर निष्पादित की जा रही है। यह एक बहुउद्देशीय टर्मिनल जलाशय परियोजना है और आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा भी है। परियोजना के कार्य में 2015 में गति आई और अब कुल कार्य का 54.40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

लाभः

8. यह परियोजना 2.91 लाख हेक्टेयर (7.2 लाख एकड़) जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराएगी और 960 मैगावाट की स्थापित क्षमता की जल विद्युत उत्पन्न करेगी। यह परियोजना गोदावरी के पानी को, प्रकाशन बैराज के ऊपर 80 टीएमसी पानी कृष्णा नदी को, अंतरित करेगी। इसके अतिरिक्त यह विशाखापट्टनम शहर के लिए 23.44 टीएमसी पानी की आपूर्ति करेगी और उसी समय नहरों के रास्ते 540 गांवों (28.5 लाख जनसंख्या) को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाएगी।

अन्य बेसिन राज्यों को लाभः

9. ओडिशा और छत्तीसगढ़ बिना किसी संग्रहण लागत के पोलावरम सिंचाई परियोजना के जलाशय से लिफ्ट करके अपने क्षेत्रों में क्रमशः 5 टीएमसी फीट और 1.5 टीएमसी फीट जल का उपयोग कर सकेंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ अपने स्वयं के क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास एवं निर्यात तथा नौचालन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। गोदावरी के पानी के कृष्णा नदी के प्रकाशम बैराज के ऊपर 80 टीएमसी के अंतरण के कारण कृष्णा नदी में बराबर मात्रा में पानी बच सकेगा। इस प्रकार कृष्णा नदी में बचाए गए 80 टीएमसी पानी को 45 टीएमसी आंध्र प्रदेश के लिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 35 टीएमसी (21 टीएमसी .14 टीएमसी) के अनुपात में जल का बंटवारा होगा।

रेडियल गेट के साथ स्पिलवेः

10. इस स्पिलवे में विद्युत द्वारा प्रचालित रेडियल गेटस के साथ 16 मी. गुणा 20 मी. के आकार के 48 वेन्टस होते हैं। ये 50.0 लाख क्यूसेक की अधिकतम संभावित बाढ़ के लिए डिजाइन किए गए हैं।

भूमि-सह-चट्टान भराव डेम/भूमि डेम

11. 2,454 मीटर की कुल लंबाई के साथ मुख्य गोदावरी नदी के आरपार गेप I और गेप II के लिए भूमि-सह-चट्टान भराव डेम और गेप III के लिए भूमि डेम प्रस्तावित था। भूमि-सह-चट्टान भराव डेम के नीचे 1.5 मीटर मोटी, 142 मीटर लंबी और चट्टान में 2 मीटर रखते हुए अधिकतम 100 मीटर गहराई की एक डायफ्राम दीवार प्रस्तावित है।

एप्रोच चैनल, स्पिल चैनल और पायलट चैनलः

12. स्पिलवे के ऊपर बाढ़ के पानी का मार्ग मोड़ने को सरल बनाने के लिए नदी के पीछे स्पिलवे के ऊपर बाढ़ के पानी को गुजरने देने के लिए स्पिलवे की ओर जाते हुए 607 मीटर चौड़ाई और 2.21 करोड़ लंबाई की एक एप्रोच चैनल तथा 1000 मीटर चौड़ी एवं 2092 किलोमीटर एक स्पिल चैनल और 607 मीटर चौड़ी तथा 650 मीटर लंबी पायलट चैनल बनाने का प्रस्ताव है।

हाइड्रो-इलेक्ट्रीक पावर हाउसः

13. बायीं दिशा में 960 मैगावाट स्थापित क्षमता के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर हाउस प्रस्तावित है। विद्युत उत्पादन के बाद पानी को एक टेल रेस चैनल के माध्यम से डेम के नीचले हिस्से पर नदी में छोड़ दिया जाएगा

वितरण प्रणालीः

14. पोलावरम परियोजना के पूरे होने के बाद पुष्कर तथा ताडीपुडी लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए पोलावरम परियोजना मुख्य नहरों पर जोड़ते हुए वितरण नेटवर्क विकसित किया गया। पोलावरम सिंचाई परियोजना की संतुलित पहुंच के लिए वितरण प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टैंडर मंगवाए जा रहे हैं। यह कार्य 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

'राष्ट्रीय परियोजना' के रूप में घोषणाः

15. इस परियोजना के महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना (ए.पी.मान्यता अधिनियम, 2014 की धारा 90) घोषित किया है और यह भी घोषणा की कि लोकहित में यह उपाय किया जाता है कि संघीय सरकार सिंचाई के उद्देश्य के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना के विनियमन एवं विकास का नियंत्रण अपने अधीन लेगी। यह भी विनिर्दिष्ट किया कि केंद्र सरकार परियोजना का निष्पादन करेगी और पर्यावरण, वन और पुनर्स्थापन मानकों सहित सभी आवश्यक निकासियां प्राप्त करेगी।

16. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने फाइल संख्या 15/4/2014, दिनांक 28.05.2014 के द्वारा एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का शासकीय निकाय तथा पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का गठन किया है और उसको 28.05.2014 के राजपत्र में प्रकाशित किया था।

विशेष पैकेज/नाबार्ड वित्त पोषणः

17. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30.09.2016 के फाइल सं. 1(2)/पीएफ-1/2014(पीटी) द्वारा यह कहते हुए आदेश जारी किया कि वह उस दिनांक को सिंचाई घटक की लागत के विस्तार तक केवल 1.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100 प्रतिशत उपलब्ध करवाएगा।

18. आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की आंध्र प्रदेश राज्य के लिए इस परियोजना का निष्पादन करना उचित रहेगा, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से इस परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के निवेदन से भारत सरकार सहमत है।

संशोधित लागत आकलनः

19. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30.09.2016 के फाइल सं. 1(2)/पीएफ-1/2014(पीटी) द्वारा यह कहते हुए आदेश जारी किया कि वह उस दिनांक को सिंचाई घटक की लागत के विस्तार तक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लागत सहित केवल 1.04.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100 प्रतिशत उपलब्ध करवाएगा।

20. यह सूचित किया गया है कि अभी की तरह आंध्र प्रदेश सरकार अपनी उपलब्ध निधियों से पहले ठेकेदारों को भुगतान कर रही है और तब भारत सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा कर रही है। राज्य सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के भुगतानों के लिए निधियों का अधिकतम हिस्सा उपलब्ध करवा रही है जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के भुगतानों का निपटान करने में अंत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

21. आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भरोसा दिलाया कि यदि केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों को पूर्व में ही जारी करवाती है तो यह निर्धारित समय में परियोजना को तेजी से पूर्ण करने को सरल बनाएगा और राज्य में अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अन्य भुगतान बाधित नहीं होंगे।

भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनः

22. आयोग को यह सूचित किया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 20.11.2014 को नए आरटीएफसीएलए, आर एंड आर अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए एलए, आरआर नियमावली 2014 बनाई है। तत्पश्चात् 13.02.2015 को आर एंड आर स्कीमों/योजना की समीक्षा एवं मॉनिटर करने हेतु भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया था। तथापि 13.07.2015 को अधिक मुआवजे के भुगतान के लिए इस अधिनियम के तहत बातचीत करने के लिए जिला-कलेक्टर को सक्षम बनाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिक मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने जिला कलेक्टर द्वारा भेजे गए अधिक मुआवजे के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए भी एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है।

23. आयुक्त आर एंड आर को अपीलीय प्राधिकारी बनाते हुए राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों/अनुसूचित क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में 3 श्रेणियों में परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए घरों के निर्माण के लिए योजना और आकलन जारी किया है।

24. आयोग को यह सूचित किया गया है कि कुल संख्या में 222 राजस्व गांव प्रभावित होंगे और कुल 771 निवास स्थान जलमग्न होंगे। परियोजना से कुल 98,818 परिवार विस्थापित होंगे जिनमें से 55,113 परिवार अनुसूचित जनजातियों के होंगे।

25. कुल 162739 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी है जिसमें से अब तक 103866 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए कुल 32,529 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। अब तक 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

26. परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में प्रभावित निवास स्थानों की पहचान, निवास स्थानों की

अधिसूचना, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कारित करना, आर एंड आर बस्तियों के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि समतलीकरण, घरों के लिए जगह का आवंटन, आर एंड आर बस्तियों के निर्माण के लिए निविदाएं, अन्य विभागों के साथ अभिसरण, आर एंड आर हकदारों के लिए भुगतान, युवाओं के लिए कौशल विकास एवं परियोजना से विस्थापित परिवारों का पुनर्स्थापन शामिल है। प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परियोजना से विस्थापित परिवार को देय आर एंड आर हकदारी 17.2 लाख रुपए आकलित हैं।

27. परियोजना से विस्थापित परिवार (पीडीएफ) विभिन्न प्रकार के घरों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार ने परियोजना से विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 4 लाख, 5.68 लाख तथा 8 लाख रूपए के मूल्य स्तर में तीन प्रकार के घरों की सुविधा प्रदान की है। परियोजना विस्थापित परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार घरों के आकार को चुन सकते हैं। तथापि, एक घर की लागत के केवल 2.84 लाख रुपए सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे तथा अतिरिक्त राशि परियोजना से विस्थापित परिवार द्वारा वहन की जाएगी। खेल के मैदान, स्कूल भवन उन्नयन, बस शेल्टर, फाइबर नेट, अस्पताल, कौशल विकास, जनजातीय संग्रहालय इत्यादि जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी पुनर्स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई हैं।

28. यह सूचित किया गया है कि कुल 98,818 परियोजना विस्थापित परिवारों में से, अब तक 3348 को स्थानांतरित किया गया है, शेष परियोजना विस्थापित परिवारों को दिसंबर 2018 तक आर एंड आर केंद्र स्थानांतरित किया जाना निर्धारित हैं।

आयोग का प्रभावित अनुसूचित जनजातीय गांवों का दौरा

29. आयोग ने कुछ गांवों का दौरा किया और सीधे प्रभावित अनुसूचित जनजाति लोगों से बातचीत की। आयोग द्वारा कोया जनजातीय गांव, इद्दीकुलाकोट्टा गांव, रमनापल्लेम गांव, मधापुरम एवं देवारगोंगी गांव का दौरा किया गया।

ग्रामीणों द्वारा आयोग के समक्ष रखी शिकायतों में शामिल हैं:-

(i) कई मामलों में अधिग्रहित भूमि के बदले दी गई भूमि खेती योग्य नहीं है।

(ii) भूमिहीन अनुसूचित जनजाति लोगों, जिन्हें नए स्थान में स्थानांतरित किया गया था, को एक घर के अलावा किसी भी प्रकार की जमीन नहीं दी गई थी परंतु, उन्होंने अपनी आजीविका खो दी क्योंकि वे लोग लघु वन उपज पर जीवन-यापन कर रहे थे जो कि काफी निकट थी।

(iii) यद्यपि उन लोगों को शौचालय सुविधा इत्यादि के साथ उचित रूप से अच्छा घर दिया गया है, ऊपर की तरफ की सीढ़ियां, अतिरिक्त कमरा इत्यादि जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का अनुरोध किया गया।

(vi) इद्दीकुलाकोट्टा गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण कई घर नष्ट हो गए थे जिसका अभी नवीकरण किया जाना है।

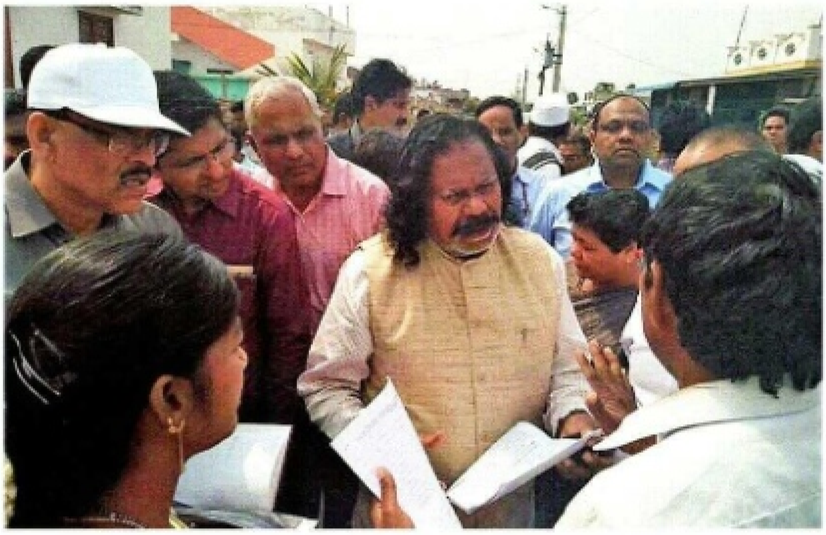

30. आयोग द्वारा गांवों का दौरा करते समय, संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त किए गए। इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दे नीचे प्रस्तुत हैः

(क) पोलावरम परियोजना निरवासीतुला परिरक्षणा समिति। अभ्यावेदकों ने विभिन्न मुद्दे उठाए जो कि निम्नलिखित हैः-

(i) पोलावरम बांध का निर्माण करते समय, समय की मांग के अनुसार कुछ जनजातीय गांवों को चरणबद्ध तरीके से खाली करा दिया गया था। वर्ष 2012-13 में, बांध का आधारभूत निर्माण प्रारंभ करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 14 जनजातीय गांवों (पश्चिमी गोदावरी 8 और पूर्व गोदावरी 6 गांव) को खाली करने के लिए कहा गया था। इन सभी 14 गांवों के जनजातीय परिवारों का पुनर्वास सरकार द्वारा जी.ओ.सं. 68 के अनुसार प्रारंभ किया गया। कथित जी.ओ. के अनुसार अभी तक कुछ वादों को पूरा नहीं किया गया, जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

❑ प्रमुख चिंता का विषय यह है कि इन सभी प्रथम चरण के गांवों के जनजातीय परिवार जी.ओ.सं. 68 के अनुसार, नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की तुलना में आर एंड आर पैकेज प्राप्त करने में असमानता का सामना कर रहे हैं, जिसे नोट किया जाना है तथा नए अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जाना है।

❑ पोलावरम मंडल के अंतर्गत दो गांवों अर्थात् चेवेगोंडापल्ली तथा सीगंन्नापल्ली में मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि प्रदान की जानी है।

❑ 14 गांवों में 30 प्रतिशत योग्य जोड़े को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया था।

❑ सभी 14 गावों में, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भू-स्वामियों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया था।

(ii) वर्ष 2015-16 में, ऊपरी कोफर बांध के निर्माण को सक्षम करने के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 110 जनजातीय गांवों (पश्चिमी गोदावरी 38 और पूर्व गोदावरी 72 गांव) को विस्थापित किया गया। विस्थापित जनजातीय परिवारों को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार पुनर्वासित किया जाना था। हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि वर्ष 2017 के दौरान सरकार द्वारा एक नया जी.ओ सं. 92 जारी किया गया।(डूबने का खतरा होने के कारण अन्य 90 जनजातीय गांवों को तुरंत खाली करने का निर्देश देते हुए)

❑ सभी गांवों में, भूमि सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था, अभी तक भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जाना है।

❑ भूमि के बदले भूमि दिया जाना है तथा पेड़ के मुआवजों का भुगतान किया जाना है।

❑ विद्यमान आवास संरचना मुआवजा उपलब्ध कराने को पूरा करना होगा।

❑ 9 मंडलों में सभी योग्य जोड़ों को मुआवजा दिया जाना है।

❑ सभी 9 मंडलों में, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भू-स्वामियों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया था।

(iii) सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी प्रभावित गांवों में भूमि का सर्वेक्षण किया, परंतु उन्होंने दो जिलों के अन्य 8 मंडलों को छोड़कर, केवल पोलावरम मंडल से संबंधित 47 परिवारों को 120 एकड़ भूमि के अधिकार को मंजूरी दे दी। सभी 9 प्रभावित मंडलों के अंतर्गत लगभग 6500 एकड़ का सर्वेक्षण किया जाना है तथा भूमि पट्टा, भू-स्वामियों को दिया जाना था जिनके पास वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार 40 वर्ष उम्र के आय सृजित करने वाले पेड़ों का कब्जा पहले से ही है, जिसे पहले ही खाली कराया जाना था। उसका मुख्य कारण इन सभी प्रभावित जनजातीय परिवारों को मुआवजा देने से बचना है।

(iv) द्वितीय चरण में, सभी गांवों में, सरकार को भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत है तथा जनजातीय परिवारों को मुआवजे के रूप में जमीन के बदले जमीन देना है परंतु 43 फीट ऊपरी कोफर बांध के निर्माण होने के कारण, सभी 110 गांव आने वाले एक वर्ष में डूबने जा रहे हैं और सरकार उचित मुआवजा दिए बिना ही शीघ्र खाली करने के लिए उन पर दबाव डाल रही है।

(v) सरकार को योग्य जोड़े को मुआवजा देने के लिए कट-ऑफ-डेट निर्धारित करना चाहिए जब वे लोग शारीरिक रूप से गांव खाली कर दें लेकिन जैसा कि पहले घोषत किया गया था, जो 2010 में है क्योंकि बहुसंख्य जोड़े अपने अधिकार को खो देंगे।

(vi) आर एंड आर मुआवजा उन सभी को दिया जाना चाहिए जिन्हें 2005 में सरकार द्वारा किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया था क्योंकि कुछ सदस्यों, विशेष रूप से लड़कियों, ने विवाह के बाद गांव छोड दिया था और उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(vii) सरकार ने प्रत्येक घर निर्माण के लिए 2,84,000/- स्वीकृत किया है लेकिन कच्चे माल की कीमत में पर्याप्त बढ़ोतरी होने और जीएसटी के कारण राशि को 5,00,000 तक बढ़ायी जानी है जो कि पर्याप्त नहीं है।

(viii) जनजातीय संस्कृति और भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए घरों के डिजाइन को फिर से बनाया जाना है, उन डिजाइनों के विरूद्ध जिन्हें सरकार ने पहले प्रस्तावित कर रखा है। सरकार ने पहले से ही निविदाएं मांग रखी है परंतु प्रस्तावित घरों का निर्माण केवल विस्थापित जनजातीय ग्रामीण समितियों द्वारा ही किए जाने की आवश्यकता है। केवल समुदाय चयनित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ix) गांवों को खाली कराने से पहले, सरकार को संबंधित गांवों में सभी शिक्षित तथा अशिक्षित लड़कों एवं लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा नौकरी का प्लेसमेंट देना चाहिए क्योंकि नए स्थानों में पुनर्स्थापन के बाद अधिकतर पुनर्वासित परिवार नियमित रूप से आजीविका की गतिविधियों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

(ख) बोरागम रामबाबू, पुत्र स्व. बसीरेड्डी, अनुसूचित जनजाति (कोया), ममीडीगोंडी पंचायत, देवारगोंडी गांव, पोलावरम मंडल।

उसके पास क्र.सं. 838/2 में 3.72 एकड़ पैतृक जमीन है। उसकी आजीविका उसी जमीन पर है। वर्ष 2006 के सर्वेक्षण के दौरान, उसकी जमीन डंपिंग यार्ड के लिए राजस्व विभाग द्वारा यह आश्वासन देकर ली गई थी कि उसे जमीन

के बदले जमीन दी जाएगी। उसे 7 वर्ष पहले नए गांव स्थानातंरित कर दिया गया लेकिन उसे अभी तक जमीन नहीं दी गई। वह अपनी जमीन के लिए जमीन के बदले जमीन अथवा मुआवजा देने का अनुरोध कर रहा है।

(ग) पडाला वरालक्ष्मी, पत्नी श्री श्रीनिवास रेड्डी, सिवागीरी गांव, पोलावरम मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला।

दिनांक 31.05.2017, बुधवार को उसके साथ सिवागीरी गांव में अन्याय किया गया, इसके लिए उसने मदद के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। वह माननीय मुख्यमंत्री से मिली। मुख्यमंत्री के निर्देश से उप तहसीलदार कोव्वुर ने मुख्यमंत्री तथा जिला कलेक्टर को भेजने के इरादें से साक्ष्य की गवाही और आवाज को रिकॉर्ड किया (जैसा इसे निर्देश भेजा गया था)। सरकार से कोष भी नहीं मिला था, उन लोगों ने वादा किया था कि कोष मिलने के बाद वे लोग उसका भुगतान कर देंगे, परंतु उन लोगों ने उसके साथ टाल-मटोल तथा धोखा किया। इसका कारण उसके और उसके पति के बीच मतभेद होना है, वे लोग अलग-अलग रहते हैं। उसके नकली हस्ताक्षर करके पैसा निकालने के गलत इरादे थे, यहां तक कि अधिकारी भी उसी का समर्थन करते। वह अपने बूढ़े ससुर की देखभाल करती है और वह भी बीमार है। इस समय उसने समिति से मदद के लिए कहा। यदि उसे मदद नहीं मिलती है तो उसने इस मामले को मीडिया में यह सूचना देते हुए आत्महत्या करनी चाही कि उसके मौत का कारण राज्य के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर हैं।

(घ) थोटागोंडी, ममीडीगोंडी, देवरागोंडी, छेगोडांपल्ली, रमयापेटा, सीगंन्नापल्ली और पीडीपाका के ग्रामवासी।

हमारे गांवों को खाली कराने के समय, अधिकारियों ने कहा कि समिति को सूचित करने के बाद हमें अधिनियम से परे कुछ लाभ देना संभव हो सकता है। अब वे कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। हम निम्न पहलुओं पर आपसे मदद करने का अनुरोध कर रहे हैं:

अधिनियम में, परियोजना विस्थापित व्यक्ति जो 18 साल पार कर चुके हैं, को सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं। (गांव खाली करने के समय यदि एक महीना भी कम था, तो अधिकारियों ने पैकेज के लाभ के लिए विचार नहीं किया)। जैसा कि अधिनियम में 18 वर्ष से नीचे वाले परियोजना विस्थापितों के बारे में नहीं कहा गया है, उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया, अब वे लोग 18 साल पार कर गए है, अब वे क्या करें। अधिकारी कह रहे हैं कि अधिनियम के अनुसार जमीन का 1 सेंट वाले परियोजना विस्थापित परिवार भी भूमिहीन गरीब के लिए पैकेज के लिए अर्हक नहीं है। हमारा अनुरोध है कि कृपया 50 सेंट और कम भूमि वाले परियोजना विस्थापित परिवारों को भूमिहीन गरीब के लाभों को प्राप्त करने के लिए भूमिहीन गरीब के रूप में विचार किया जाए क्योंकि आप जानते हैं कि कम सीमित भूमि से आप केवल 5000/- रूपए से 10000/- रूपए तक ही कमाते है। हम, अशिक्षित जनजातियां और हमारे पूर्वज कई वर्षों से कोडां पोडु (पहाड़ी खेती) खेती पर निर्भर है, हमने पट्टा भी नहीं लिए। अब अधिकारी कह रहे हैं कि वो सारी जमीन वन विभाग की है। हम, आपसे ग्रामवार पहाड़ी खेती भूमि का सर्वेक्षण करने और जनजातीय परिवार जो कोडां पोडु (पहाड़ी खेती) पर रह रहे हैं, की मदद करने का अनुरोध करते हैं। खेती के लिए भूमि दिखाएं, उद्योग स्थापित करके उसके जीवनयापन के लिए परियोजना विस्थापित परिवारों के लिए कार्य सृजित करें। आर एंड आर गांवों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन। परियोजना विस्थापित परिवार के लिए इस नए अधिनियम के लागू होने से पहले विस्थापित किये गये परिवारों को, 2013 अधिनियम के अनुसार आर एंड आर पैकेज का कार्यान्वयन।

(ङ) अध्यक्ष श्री काकी मधु आदिवासी समक्षेमा परिषद् (ए.एस.पी) जनजातीय कल्याण परिषद्

दिनांक 07.07.2017 को, श्रीमती मुचीका वेंकट रमन, उम्र 55, छेगोडांपल्ली गांव, पोलावरम नाम की महिला की अज्ञात लोगों द्वारा दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। सरकार तथा पुलिस द्वारा अपराधियों को तलाश करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एक जांच गठित करने के लिए अनुरोध किया गया।

(च) मदाकम भीमालम्मा पत्नी स्व. श्री वीराबदरूडु।

चूंकि मेरे पास गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के अनुसार भूमि पैकेज है, जमीन मुझे नहीं दी गई। जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई। सरकार के स्वामित्व निर्मित घरों के अलावा, सीढ़ी तथा दरवाजे नहीं दिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, मुआवजा वाली जमीन पहाड़ी ढलान जमीनों को दी जाती है। मुझे कोई पैकेज नहीं दिया गया। यहां तक कि मैं परियोजना विस्थापित परिवार से हूँ। चूँकि परियोजना की कीमत में वृद्धि हुई है इसलिए परियोजना विस्थापित परिवार को नए आर एंड आर अधिनियम, 2013 के अनुसार पैकेज दिया जाना चाहिए।

(छ) मुचिका बाला मुरली कृष्णा पुत्र श्री वेंकेटश्वर राव, छेगोंडापल्ली

मुझको आवंटित घर नहीं बनाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में इसे बनाया गया दर्शाया गया है। आपसे मेरी समस्या को समाधान करने का अनुरोध है।

(ज) मुचिका सीवाकृष्णा, पुत्र स्व. मुचिका वेकेंटश्वर राव

वर्ष 2008 के दौरान, 6.43 एकड़ जमीन का एक हिस्सा मेरे पिता के नाम दिया गया था जो बड़े-बड़े पत्थरों से भरा टेढ़ा-मेढ़ा तथा कृषि करने लायक नहीं है। एम.आर.ओ तथा आर.डी.ओ को अभ्यावेदन दिया लेकिन अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आर.डी.ओ ने हमें दूसरी जमीन देने का आश्वासन दिया। परंतु अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया। आपसे मेरे मामले में मदद करने का अनुरोध है।

(झ) मदाकाम भीमालम्मा, पत्नी स्व. श्री वीराबदरूडु से।

छेगोंडापल्ली में कोई प्रार्थना हॉल नहीं है। अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई हल नहीं निकाला गया। कृपया प्रार्थना हॉल के निर्माण के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध है। (कुछ अभ्यावेदन की प्रतियां संलग्न है)

आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक

31. दिनांक 28 मार्च, 2018 को, आयोग ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ वेलागापुडी में एक बैठक की। बैठक के दौरान, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सूचित किया गया कि आयोग अनुसूचित जनजाति लोगों, जो पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण प्रभावित हुए हैं, के कल्याण के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। तद्नुसार यह भी सूचित किया गया कि परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति लोगों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रक्रिया के साथ जुड़े रहना आयोग के लिए स्वाभाविक है।

32. बैठक के दौरान, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बताया कि आयोग ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना द्वारा प्रभावित जनजातीय लोगों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मुद्दे की समीक्षा करने का निर्णय लिया क्योंकि यह परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है और यह अपने इंजिनियरिंग चमत्कार के संदर्भ में देश का गौरव है। आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि इस परियोजना द्वारा विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के संदर्भ में भी यह देश का गौरव होना चाहिए। परियोजना के विकास के कारण लोगों के विस्थापन तथा पुनर्वास पर लोकसभा सचिवालय के संदर्भित नोट के अनुसार, विस्थापित जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक लोग

जनजातीय है। विस्थापित जनजातीय लोगों में से अधिकांश लोग अभी तक अपनी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई स्थानों में जनजातीय लोगों को केवल नकद मुआवजे देकर विस्थापित किया गया है और सभी लोग स्वयं को पुनर्वास करने में असफल हो गए हैं क्योंकि जनजातियों के लिए ''भूमि जीवन है''। आयोग ने जनजातियों के कुशल एवं प्रभावी स्थानांतरण तथा पुनर्वास के माध्यम से देश का एक उपयुक्त उदाहरण दर्शाते हुए चंद्रबाबु नायडु के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया।

आयोग का अवलोकनः

33. आयोग ने नोट किया कि आंध्र प्रदेश सरकार एक पहला राज्य है जिसने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियम बनाए। आयोग ने नोट किया कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने परियोजना से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने तथा देखने और पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना के लिए भी आठ युवा आईएएस अधिकारी नियुक्त किये है। ये युवा अधिकारी परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तथा प्रभावित लोगों को उचित पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए पाए गए हैं।

34. आयोग ने यह भी नोट किया कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के अलावा भी जैसा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है कि, राज्य सरकार ने यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य कार्यक्रमों और विकासीय गतिविधियों का अभिसरण करना है ताकि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण हो, जहां प्रभावित लोगों को पुनर्वासित किया गया है।

आयोग की सिफारिशें एवं सलाहः

35(i) प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ चर्चा करते समय आयोग को सूचित किया गया कि कई मामलों में अधिग्रहित जमीन के बदले में दी गई वैकल्पिक जमीन कृषि योग्य नहीं है। या तो यह चट्टानों वाली बंजर जमीन है या वहां पर पानी नहीं है। अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार परियोजना से विस्थापित परिवारों/परियोजना प्रभावित परिवारों को पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत उचित सिंचाई सुविधाओं के साथ केवल कृषि के लिए योग्य जमीन ही उपलब्ध कराएं।

(ii) आयोग ने नोट किया कि कई अनुसूचित जनजाति परिवार भी स्थानांतरित किए गए जो जमीनधारक नहीं थे। वे अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों पर निर्भर थे अब उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए वे अपनी आजीविका से वंचित हो गए हैं। राज्य सरकार को उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाकर उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है।

(iii) जब आयोग ने ईडीकुलाकोट्टा गांव का दौरा किया तो यह शिकायतें प्राप्त हुई कि उस गांव में बाढ़ के धक्के से कई नए बनाए हुए मकान नष्ट हो गए थे और अब तक नष्ट हुए मकानों को दुबारा नहीं बनाया गया हैं। आयोग सिफारिश करता है कि नष्ट किए हुए मकानों को अनुसूचित जनजाति के लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए तुरंत पुनः बनाया जाना चाहिए।

(iv) पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में क्षतिपूर्ति पैकेजों को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मथाईस ओरम और अन्य के मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सं. 2007 की 6933 में आकलनों एवं सुझाए गए तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए आध्र प्रदेश सरकार को स्वतः संशोधित करने की आवश्यकता है। आयोग महसूस करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार एक समान स्कीम, पोलावरम सिंचाई परियोजना द्वारा प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित क्षतिपूर्ति के अधिकार पाने में सहायता करेगी। साथ

ही उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान रखा जाए और जनजातीय लोगों के लाभ को सर्वोतम संभावित तरीके उपयोग किया जाए।

(v) जनजातीय लोगों के संबंध में क्षतिपूर्ति देते समय, 'जमीन के बदले जमीन' नीति का अधिकतम विस्तार तक अनुसरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामले में 2.5 एकड़ जमीन की उच्चतम सीमा में ढील दी जानी चाहिए और उन्हें पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में बराबर या कम से कम 2.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(vi) पुनर्स्थापना कॉलोनियों में उनके हक के अतिरिक्त एम्स के पैटर्न पर, विश्वविद्यालयों, स्टेडियमों, मेडिकल कॉलेजों, कला एवं संगीत अकादमियों/केंद्रों आदि की स्थापना जैसे सामाजिक ढांचे के सृजन के लिए फोकस करने/जोर देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को, यदि जरूरी हो तो, एक मुश्त खरीद के माध्यम से ऐसी आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के सृजन के लिए जमीन के पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए।

(vii) राज्य सरकार को यह विचार करना चाहिए कि संपूर्ण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य, एकल बिंदु उत्तरदायित्व के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए उत्तरदायित्व के रूप में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। जबकि वास्तविक कार्यान्वयन अन्य पंक्ति के विभागों/अभिकरणों द्वारा किया जा सकता है।

(viii) राज्य सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आर एंड आर का कार्य पूरा किया जाए और परियोजना से विस्थापित परिवारों के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित लोगों को परियोजना के डूबने या चालू होने या उनके विस्थापन, जो भी पहले हो, से कम से कम चार महीने पूर्व मुआवजें का भुगतान किया जाए।

(ix) राज्य सरकार को विस्थापित परिवारों को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए पुनर्वास क्षेत्र के निकट एवं औद्योगिक एस्टेट/हब के विकास करने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों को इस औद्योगिक एस्टेट को 10 वर्ष तक कर अवकाश के साथ-साथ कर मुक्त घोषित करने पर विचार करना चाहिए। शर्त यह होनी चाहिए कि केवल पोलावरम सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को ही इस औद्योगिक एस्टेट में गैर-प्रबंधकीय के लिए रोजगार दिए जाएंगे।

(x) आयोग ने आशंका व्यक्त की कि एक बार बांध परियोजना को भौतिक रूप से पूरा कर लिया जाता है और प्रभावित लोगों को नए स्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो संबंधित आर एंड आर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दे दी जांएगी और संभवतः पुनर्वासित लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा तथा किसी भी सहायक संस्थागत तंत्र के बिना ही स्वयं का बचाव करना होगा। इसलिए आयोग दृढ़ता से सिफारिश करता है कि विकासीय गतिविधियों और अन्य कल्याणकारी उपायों को देखने के लिए, परियोजना के पूरे होने से कम से कम 5 वर्ष तक पुनर्वास क्षेत्र में आर एंड आर अधिकारियों के एक समर्पित दल को तैनात किया जाना चाहिए।

36. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार की परियोजना से प्रभावित परिवारों के साथ बैठक को सुविधाजनक बनाने तथा पूर्ण समर्थन देने के लिए सराहना की। आयोग पोलावरम सिंचाई परियोजना से प्रभावित, उन सभी लोगों का ऋणी है, जिन्होंने स्पष्ट और जोरदार तरीके में अपना विचार व्यक्त किया। बिना उनकी सक्रिय साझेदारी के आयोग को इस रिपोर्ट को निकाल पाना संभव नहीं होता। साथ ही आयोग दोहराता है और पोलावरम परियोजना से प्रभावित सभी अनुसूचित जनजाति परिवारों को आश्वासन देता है कि आयोग की उन लोगों को सर्वोत्तम मुआवजा मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठा तल, लोकनायक भवन, मार्केट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24620969, 1800117777 (टोल फ्री)